क्या है सिंधु जल संधि ?

Result Mitra

- 1947 में देश के विभाजन के बाद अन्य मुद्दों की तरह भारत और पाकिस्तान के मध्य पानी के लिए भी विवाद।
- 1949 में डेविड लिलियेंथल (अमेरिकी विशेषज्ञ) ने इस मुद्दे को राजनीतिक की बजाय तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी।
- सितंबर 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया।
- 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ जिसे 1960 की सिंधु जल संधि कहा गया।

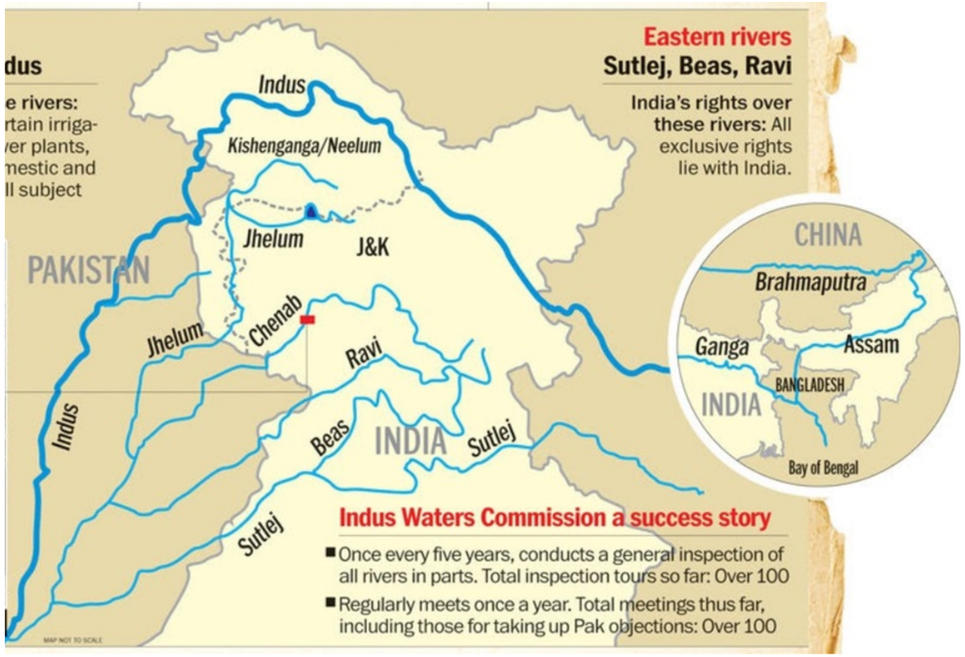

- इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए।
- 12 जनवरी 1961 को संधि की शर्तें लागू।

सिंधु नदी समझौता

- संधि के तहत भारत से पाकिस्तान जाने वाली 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ।
- सिंधु समझौते में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल।
- पूर्वी नदियों – रावी,व्यास और सतलज के पानी पर भारत का एकाधिकार
- पश्चिमी नदियों– झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी को पाकिस्तान को देना तय
- भारत उनके लगभग 20% पानी का प्रयोग कर सकता है।

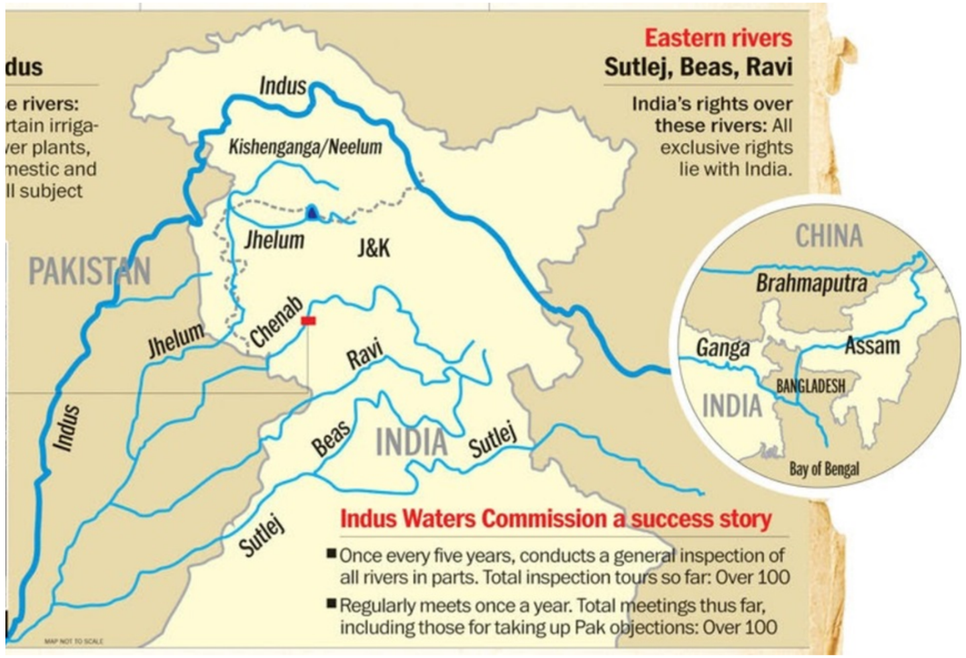

- भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बन सकता है लेकिन सभी प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही होंगे अर्थात प्रोजेक्ट के तहत पानी को रोक नहीं जा सकता।

सिंधु समझौते के बाद भारत के प्रयास

- पूर्वी नदियों (95% पानी का प्रयोग)के पानी के प्रयोग हेतु सतलज पर भाखड़ा बांध, ब्यास पर पोंग और पंडोह बांध, रावी पर थीन बांध
- ब्यास–सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर, माधोपुर–व्यास लिंक जैसी परियोजनाएं।

पाकिस्तान के लिए सिंधु के मायने

- पाकिस्तान का बड़ा भूभाग सिंधु नदी बेसिन पर निर्भर 2/3 भाग

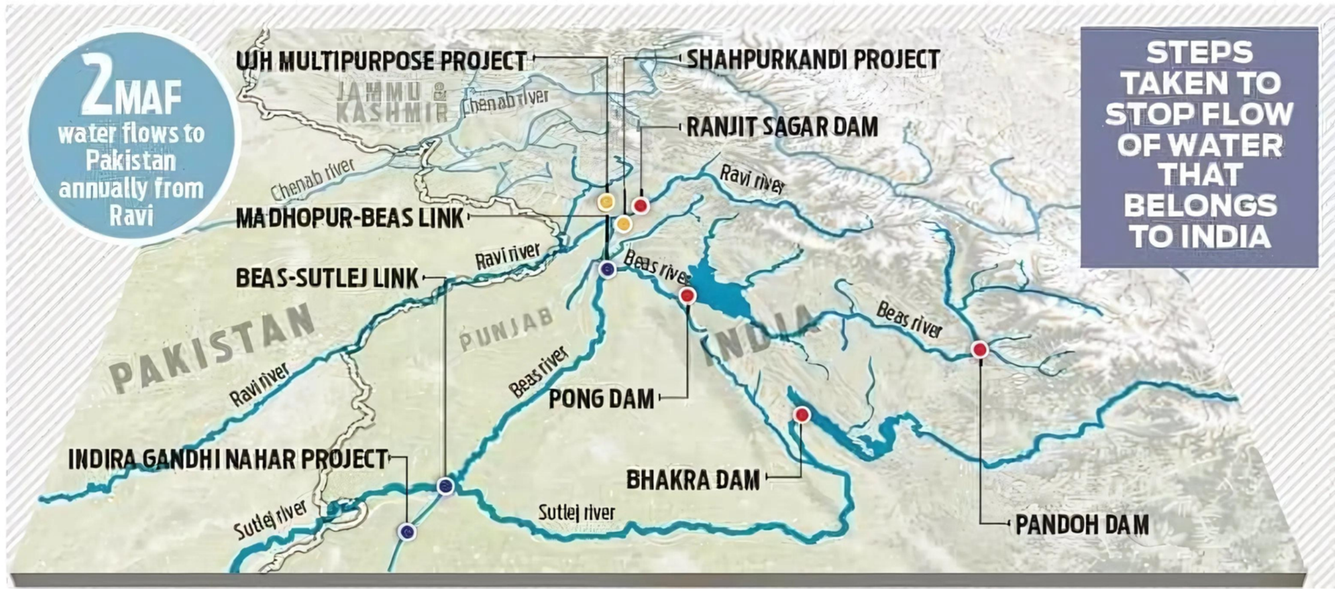

सिंधु नदी का महत्व

- लंबाई 3180 किलोमीटर
- उद्गम सिन –का–बा, मानसरोवर तिब्बत
- सतलज का भी उद्गम तिब्बत से
- शेष चारों नदियां भारत से ही निकलती है।

- सिंधु जल आयोग और जल आयुक्त
- भारत और पाकिस्तान सिंधु समझौते के कार्यान्वयन, विवाद निपटान हेतु एक स्थाई जल आयोग का गठन – एक-एक जल आयुक्त की नियुक्ति।
- सिंधु जल संधि 1960 के अनुच्छेद 8(5) के अंतर्गत आयोग की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित, जिसमें एक वर्ष भारत में तो दूसरे वर्ष पाकिस्तान में।